न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	134/25	2025/209	15.10.2025	बाबू बनाम तहसीलदार वजीरपुर	26.11.2025	1 लगायत 2

1. बाबू उम्र 58 साल पुत्र मदन जाति बैरवा निवासी ग्राम डोब तहसील वजीरपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर । –रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–
अपीलार्थी की और से :– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश चन्द्र शर्मा ।
रेस्पोडेन्ट की और से :– पेरोकार सरकार

अपील अर्न्तगत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 111/2025 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम डोब के आराजी ख0नं0 1258 रकबा 0.05 है0 किस्म सिवायचक गै0मु0रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि पटवारी हल्का जीवली ने प्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय में गलत तथ्यों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट ने सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.05 है0 स्थित ग्राम डोब पर अतिक्रमण कर 0.05 है0 भूमि पर तिल की फसल काश्त की है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.2025 विधि विरूद्ध व तथ्यों [illegible] होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट अतिक्रमण किए जाने बाबत [illegible] की है वह बिना मौके पर जांच किए पेश की है। भूमि खसरा नम्बर 1258 के [illegible] अपीलान्ट की [illegible] व कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर अपीलान्ट हमेशा से काश्त करता रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.03 17:33:52 IST
Reason: SelfAttested

नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 1258 के लगवॉ प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1273/1334 रकबा 0.30 है0 और उसी पर मेरा कब्जा काश्त हैं पटवारी हल्का ने भूमि खसरा नम्बर 1258 की बिना कोई सीमा ज्ञान करवाये ही प्रार्थी के विरूद्ध गलत रिपोर्ट दी है और उसी गलत रिपोर्ट के आधार ही अधिनस्थ न्यायालय ने यह गलत निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय अथवा पटवारी हल्का ने आज दिनांक तक भूमि खसरा नम्बर 1258 का कोई सीमाज्ञान नहीं करवाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्णतः अनदेखी करते हुए प्रार्थी को बिना सुने व अनुपस्थित दिखाते हुए दो माह के सिविल कारावास से दण्डित करने व मौके पर बेदखली के आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है साथ ही विद्वान अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 09.09.2023 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.09.2023 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय प्रति निर्णय के लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.03 17:33:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी